

31/7/19 रकील डमरुपडा उपख. रकील अपीलार्थी
ने रीटों. नं. 2 व 3, 4 को चुन-तलवी
के तलबाना नोटिस पेश किया तलवी
की जाकर पत्रवली दिनांक 19/8/19
को पेश है। हजरत उपर्युक्त दिनांक
19/8/19 तक नही जाती है चित्र

1554-59
8/8/19

प्रतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बयपुर

19/8/19 अपीलार्थी व रकील अपीलार्थी उपख. रकील
रेलपोर्ट अपीलार्थी। रकील अपीलार्थी ने पत्रिक
पर खबर अपीलार्थी किया करने हेतु पत्र
कर क्रयन किया कि अपीलार्थी अपील नही
चलाना चाहता व किश कइता है इतलिय
अपील अपीलार्थी व चलाने की पत्र
व किश करने के कारण खराब को पत्र
हमने पत्रवली का अवलोकन किया। अपीलार्थी
द्वारा अपील नही चलाने व किश करने
के अपील अपीलार्थी खराब को पत्र
है। पत्रवली फिलाल सुमार होकर नवंबर
में कम है। तहत - याथालय निश्चित सुविध
है। पत्रवली का तलबाना जाया हासिल
दस्तावेज है। आदेश सुनाया गया।

वर्णित
अ. अ. अ. अ. अ.
19/8/19

प्रतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बयपुर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील नम्बर 20/2019 / एल. आर. एक्ट / जिला- सीकर

पूरणमल पुत्र सुरजा जाति जाट, निवासी सूजावास तहसील दांतारामगढ़,

जिला- सीकर।

अपीलान्त

बनाम

सीकर

दिनांक
14/5/2019

1. नागरमल पुत्र कुशलराम
2. हरफूल पुत्र सुरजा
3. रामेश्वर पुत्र सुरजा
4. रामनारायण पुत्र सुरजा
5. भगवाना पुत्र सुरजा
6. लिक्ष्मण पुत्र चन्दा (मृतक) जयें
- 6/1 प्रभाती पत्नी लिक्ष्मण
- 6/2 श्रवण कुमार पुत्र लिक्ष्मण
- 6/3 फूलचन्द पुत्र लिक्ष्मण
- 6/4 सुनीता पुत्री लिक्ष्मण
- 6/5 सुशीला पुत्री लिक्ष्मण

समस्त जाति जाट, निवासी सूजावास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला- सीकर।

7. सरकार जयें तहसीलदार जी दांतारामगढ़, जिला- सीकर।

रेस्पोंडेन्टान्

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध आज्ञा


उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला- सीकर, दिनांक

9/5/2019 ई०

श्रीमान जी,

आदेशार्थ

अपील मय वाक्यात निम्न निवेदन है :-



- मधेश्या,
- अपील
1. पूरा कोई फीस पर है।
 2. लमाअत्र अदालत
 3. अन्दर अिया द
 4. दाताविषय पूरा है।
 5. केविचैट लिखत है।